

भारत की ताकत का प्रतीक है तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण

■ कूटनीतिक जीत है मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को भारत लाया जाना

■ आसान नहीं है अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से आतंकवादियों का प्रत्यर्पण

26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा चुका है। भारत के इस पहले नंबर के दुश्मन का समय अब तिहाड़ जेल में बीतेगा, जहां उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किये गये हैं। तहव्वुर राणा का भारत लाया जाना या यूँ कहें कि अमेरिका सरकार द्वारा इसे भारत को सौंपना कोई मामूली घटना नहीं है। यह आतंकी अमेरिका में छुपा हुआ था, लेकिन भारत के दबाव में अमेरिका को इस आतंकी को भारत को सौंपना पड़ा। यह नया भारत है, जो झुकाता नहीं, झुकता है। यह भारत की कूटनीतिक जीत और

दुनिया भर में उसके बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। तहव्वुर राणा को लेकर भारत ने इंतजार किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसका प्रत्यर्पण भले देर से हुआ हो, पर यह संदेश साफ है कि भारत की कूटनीति ने फिर साबित किया कि हम अन्याय के सामने न तो झुकते हैं, न ही रुकते हैं, हम डटकर सामना

करते हैं। भारत के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तहव्वुर राणा को लेकर जैसे ही विशेष विमान दिल्ली पहुंचा, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर तहव्वुर हुसैन राणा से पल्ला झाड़ लिया। उसने तहव्वुर राणा से खुद को अलग करते हुए कहा कि उसने

बीते दो दशक से पाकिस्तान के अपने दस्तावेजों को रिव्यू नहीं करवाया है। अब वह पूरी तरह से कनाडाई नागरिक है। राणा का प्रत्यर्पण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भारत विरोधी आतंकी को अमेरिका ने पहली बार भारत को सौंपा है। इसके साथ ही अब इस बात की उम्मीद बंधने लगी है कि दुनिया भर में छिपे भारत के दुश्मनों और दूसरे भगोड़ों को भी भारत लाया जा सकेगा। क्या है तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मायने और क्या हो सकता है इसका असर, बता रहे हैं **आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह**।



बड़ी सफलता है, क्योंकि जिन सरकारों के शासन में बम धमाके हुए, वे उसे वापस नहीं ला पाये।

दोहरे खतरे के सिद्धांत का बखूबी किया सामना

राणा के प्रत्यर्पण का पहला फैक्टर है कानूनी दांव-पेच। दरअसल तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोहरे खतरे सिद्धांत का हवाला दिया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। तहव्वुर राणा ने तर्क दिया कि मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में वह अमेरिका में सजा काट चुका है। ऐसे में उसे अब भारत प्रत्यर्पित करना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। हालांकि भारत का प्रतिनिधित्व एक मजबूत कानूनी टीम कर रही थी, जिसने अपने तर्कों से तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से बचने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया।

प्रत्यर्पण का यह घटनाक्रम राणा के लिए एक बड़े कानूनी झटके के बाद हुआ है। पिछले सप्ताह प्रक्रिया को रोकने का उसका अंतिम प्रयास विफल हो गया, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके आपातकालीन आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे भारतीय हिरासत में स्थानांतरित करने का रास्ता साफ हो गया। 64 वर्षीय राणा लॉस



के रास्ते मुंबई की यात्रा की। उसने हमले को सफल बनाने की योजना में हेडली का भरपूर साथ दिया।

तहव्वुर राणा पर क्या है आरोप?

राणा पर 26/11 के मुंबई हमले में भूमिका का आरोप है। तहव्वुर राणा को पाकिस्तानी-अमेरिकी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। साल 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गये थे। इस हमले में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 60 घंटे से अधिक समय तक मुंबई में अलग-अलग जगहों पर हमला और धमाका किया था और लोगों की हत्या की थी।

ऐसे हुआ तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण

भारत ने पहली बार दिसंबर 2019 में राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। उसके बाद जून 2020 में भी औपचारिक अनुरोध किया। भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत बाइडेन प्रशासन ने इसे मंजूरी दे दी। राणा ने अमेरिकी अदालतों में प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी अपीलें खारिज कर दी गयीं। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया था।

भाजपा नेता अनिल टाड़गर हत्याकांड के खुलासे का पुलिस का दावा देवव्रत शाहदेव ने 10 एकड़ जमीन को लेकर करायी थी हत्या

चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। रांची पुलिस ने भाजपा नेता अनिल टाड़गर की हत्या का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि अनिल टाड़गर की हत्या 10 एकड़ जमीन को लेकर हुई। उनकी हत्या पहले जमीन पर कब्जे का विरोध करने और फिर कब्जा करने वालों से प्रति डिसमिल 50 हजार रुपये की मांग करने के कारण हुई। इस मामले में देवव्रत नाथ शाहदेव नामक एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसने अनिल टाड़गर की हत्या करायी। पुलिस ने इस कांड में संलिप्त चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
बताते चलें कि भाजपा नेता अनिल टाड़गर की 26 मार्च को कांके चौक पर अपराधियों ने गोली मारकर कर हत्या दी थी। इस घटना के विरोध में भाजपा और आजसू ने 27 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया था। डीआइजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्याकांड के खुलासे की बात कही। उन्होंने बताया कि घटना में देवव्रत नाथ शाहदेव, अभिषेक सिन्हा, रोहित वर्मा, अमन सिंह, जिशान अख्तर, मनीष, राजसिया और अजय कुमार चौरा की भूमिका पायी गयी है। इनमें से चार आरोपियों



जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे थे अनिल टाड़गर

एसएसपी ने बताया कि पुलिस की जांच में पता चला है कि 10 एकड़ जमीन पर देवव्रत नाथ शाहदेव के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे और भाजपा नेता अनिल टाड़गर ग्रामीणों का सहयोग से कर रहे थे। इस दौरान देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल टाड़गर के बीच कई बार वार्ता हुई,

अनिल के खिलाफ दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी

देवव्रत नाथ शाहदेव ने उक्त भूमि के केयर टेकर दिलीप कुमार मुंडा से कांके थाना में अनिल टाड़गर सहित आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (कांड संख्या- 215/2023) दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में 40-50 अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था। सभी पर मारपीट, तोड़फोड़ करने और रंगदारी मांगने का

जो विफल रही। वार्ता के दौरान ही वर्ष 2023 के अगस्त माह में देवव्रत नाथ शाहदेव द्वारा उक्त भूमि पर चहारदीवारी का निर्माण कर जबरन दखल-कब्जा किया जा रहा था। अनिल टाड़गर ने ग्रामीणों के सहयोग से देवव्रत नाथ शाहदेव को जमीन कब्जा करने से रोक दिया था।

आरोप लगाया गया था। साथ ही देवव्रत का अपने सहयोगियों के माध्यम से उस जमीन पर दखल-कब्जा करने एवं बिक्री करने का प्रयास जारी रहा। उपर, अनिल टाड़गर का विरोध भी चलता रहा। इसके परिमाणस्वरूप देवव्रत न ही भूमि पर कब्जा कर पा रहा था और न ही बेच पा रहा था।

विवाद को खत्म करने के लिए अपने घर पर बैठक करायी। जहां अनिल ने प्रति डिसमिल 50 हजार की दर से 4.5 करोड़ रुपये की मांग की। साथ ही कहा कि पैसे नहीं मिलने पर जमीन कब्जा और

लगाया जा सकता है कि पूर्व की बाइडेन सरकार या मौजूदा ट्रंप सरकार दोनों ने ही तहव्वुर राणा के अपने एक बयान में साफ कर दिया था कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जायेगा। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण में कई बार मुश्किलें भी आयीं, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुए उन मुश्किलों को समाप्त कर दिया।

भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का सबूत

कौन है तहव्वुर हुसैन राणा

तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक है, जो पाकिस्तानी सेना में भी काम कर चुका है। तहव्वुर राणा को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए काम करने के लिए दोषी पाया गया था। वह साल 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। अब भारत लाकर उसे 2008 के मुंबई हमले

मामला नहीं सुलझा, तो हत्या की योजना बनायी

एसएसपी ने बताया कि जमीन पर दखल-कब्जा नहीं होने और उसकी बिक्री नहीं हो पाने के कारण देवव्रत शाहदेव को आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसी वजह से देवव्रत ने अनिल टाड़गर को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करने की योजना बनायी।

बिक्री का विरोध करते रहेगे। बैठक के दौरान ही देवव्रत और अनिल के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद देवव्रत ने अनिल को धमकी देते हुए उन पर पिस्टल तान दिया था।

लाठीचार्ज में मृत प्रेम महतो के परिजनों से मुलाकात की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो : बाबूलाल

आजाद सिपाही संवाददाता

बोकारो। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को बोकारो के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत धावाटांड गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने हाल ही में हुए लाठीचार्ज में मारे गये प्रेम कुमार महतो के परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि बीते दिनों बोकारो में विस्थापित अफ्रेंसि संघ के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में प्रेम कुमार महतो की मृत्यु हो गयी थी। इस घटना को लेकर राज्यभर में आक्रोश का माहौल है। बाबूलाल मरांडी ने मौके पर जाकर न सिर्फ परिजनों को ढाढस बंधाया,



बल्कि घटना की जानकारी ली। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए सरकार से सवाल पूछ कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की बर्बर कार्रवाई क्यों की गयी। उन्होंने मांग की कि दोषी

अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा मिले। मरांडी ने कहा कि भाजपा मृतक के परिवार के साथ है और न्याय के लिए हरसंभव लड़ाई लड़ी जायेगी।

डॉ एसपी सिंह को आजसू ने दी श्रद्धांजलि

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। आजसू पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में गुरुवार को अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके पूर्व कुलपति डॉ एसपी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने डॉ सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कहा कि बुद्धिजीवी मंच के पदाधिकारी के रूप में डॉ एसपी सिंह का लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हिमालयन यूनिवर्सिटी, ईटानगर और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कुलपति के साथ उन्होंने सीआइटी,



टाटीसिलवे के निदेशक और जेएन कॉलेज के प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। पार्टी के बुद्धिजीवी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया। उनकी ख्याति देश-विदेश में थी।

श्रद्धांजलि समारोह सभा में पार्टी के केन्द्रीय प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, प्रवीण प्रभाकर, राजेंद्र शाही मुंडा, सोहेल शाह, बनमाली मंडल, कौशिक चांद, डॉ मुकुंद मेहता सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कुमार को भेमांठो देकर सम्मानित किया। इनके अलावा अखाड़ा-समिति के कृष्ण कुमार शर्मा, महेंद्र भगत, लक्ष्मण सिंह, मुकेश सिंह, तारा सिंह, नंदकिशोर ग्रुप, राजेंद्र प्रसाद, सूरज भुजसवाल, चुनचुन गडवा, शंकर जायसवाल, रवि वादवा, भोलानाथ महतो, विकास सिंह आदि शामिल थे।

इस मौके पर मो शहाबुद्दीन, मासूम खान, प्रदीप पांडेय, श्याम कान्त गुप्ता, अशोक लाल, प्रिंस शर्मा, कमरेखा सिंह, उदय वाम्प, पिंटू, रंजीत पांडे, दिव्या चौधरी आदि मौजूद थे।

आजाद सिपाही की ओर से स्वत्वाधिकारी लैंडस्केप मीडिया प्रा. लि., प्रकाशक एवं मुद्रक हरिनारायण सिंह के लिए 176 कोकर चौक, ओल्ड एचबी रोड, रंची 834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा डीबी प्रिंट सोल्यूशंस (ए यूनिट ऑफ डीबी कार्पा लिमिटेड), प्लॉट नं. 535 एवं 1272, ललगुटवा, पुलिस स्टेशन, रातू, रंची से मुद्रित
संपादक : हरिनारायण सिंह, **स्थायी संपादक* :** विनोद कुमार, ***पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए जिम्मेदार, **राज्य समन्वय संपादक :** अजय शर्मा। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवारों के लिए क्षेत्राधिकार रंची न्यायालय में रहेगा। फोन : 9264434560, **R.N.I. No.-JHAHIN/2015/65109**, Postal Registration No. **RN/249/2019-21**



बलांगीर जिले में गाज नकली नोटों के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ के टीआईजी पिनाक मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि एसटीएफ ने 49,000 रुपये के नकली नोट जब्त किये हैं। इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान टिटलागढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रघुनाथपाड़ा निवासी मोहम्मद साकिर (45) और टिटलागढ़ क्षेत्र के सिकिर निवासी नेत्र राउत (44) के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी कर उपरोक्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 49 हजार रुपये के जाली भारतीय मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत/परिवहन), पूर्व मंत्र, धनबाद द्वारा जारी के राष्ट्रपति की तफर से निर्माणित नोटों के निष्पन्न हेतु सप्तम सविदाकारों से ई-निविदा आवानित की जाती है। ई-निविदा संख्या : GEM/2025/B/6122680, dated 08.04.2025.

1. कार्य का नाम, स्थान एवं समापन की अवधि: धनबाद मंडल के बरकाकाना, पतारपुर, गज, खतारी और बरवाडीह स्टेशनों पर 'लोकोमोटिव में आर डी एल से विनिर्देशन' पर '850/425 (क्रि. 2)' के IS 1987 - 2002 के टेबल बर्लोज (11.3) के अनुसार 02 थॉ के लिए प्लाक की आपूर्ति और प्रयोग हेतु। 1. कायम के लिए प्रकलित राशि : ₹83,82,356.40, 3. आयमन राशि : ₹1,67,700.00। 4. ई-निविदा बंध होने और खुलने की तिथि एवं समय : ई-निविदा का बंद होने : 29.04.2025 को 18:00 बजे। 5. निविदा का खुलना : 29.04.2025 को 18:30 बजे। 6. वेबसाइट का विवरण : वेबसाइट : <http://gem.gov.in> विशेष : ई-निविदा के तहत किसी भी प्रकार के मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जाये।

मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत/परि.)
पुनर/धनबाद



Panasonic

BRANDSHOP

Panasonic

ideas for life



DIVA ENTERPRISES

Nile Complex, Old HB Road, Near PNB
Kantatoli Branch Ranchi - 834001

Mob.: 9576777385, 9304809352

प्रकाशित

सारखंड अभिरचि परिसर, रौप्री द्वारा आयोजित वर्क-XI की बोर्ड परीक्षा - 2021 के लिए JCBT, रौप्री द्वारा जारी किये रसमोदित पाठ्यक्रम (यद्यपि विधायन पत्र पर पुर्णतः आधारित एक अलंकार महत्वपूर्ण परीक्षायोग्यी प्रश्नों का उत्तर सहित सवाल)

The advertisement features three main book covers for Class XI:

- Arts, Science, Commerce:** The top cover is yellow and green, featuring the text "JCBT रौप्री द्वारा जारी कर मुद्रांकित पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित". It includes a red starburst saying "OMR SHEET सहित प्रश्नपत्र" and a price tag of ₹190.
- Science:** The middle cover is orange and green, also featuring the same text and OMR sheet information, with a price tag of ₹190.
- Commerce:** The bottom cover is blue and green, featuring the same text and OMR sheet information, with a price tag of ₹190.

Below the book covers, there is a section titled "All Subjects Combined in ONE BOOK" which lists various subjects and their corresponding exam types:

Subject	Exam Type
Hindi (Core), English (Core), Hindi (Elective), English (Elective), Economics, History, Political Science, Geography, Sociology, Psychology, Philosophy and Home Science	Board Examinations
Hindi (Core), English (Core), Economics, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology and Computer Science	Entrance Examinations
Hindi (Core), English (Core), Economics, Accountancy, Business Studies, Commercial Arithmetic, Entrepreneurship and Computer Science	Entrance Examinations

At the bottom, it mentions "Babuji Bhai" and provides contact information for VERMA PRESS PVT. LTD., located at A-1, R.D. STREET, THAPAKHURA, KANPUR (U.P.). It also includes a note about the logo and address being used by other publishers without permission.